



श्रम की मांग विवरणी

क्र.	रोजगार हेतु आवेदन देने की तिथि	जिस तिथि से रोजगार की आवश्यकता है।	कुल दिन	पदा. जिसके समक्ष उपस्थापित किया गया हस्ताक्षर एवं पदनाम



**उपलब्ध करायी गई रोजगार विवरणी 2007-08**

क्र.	माह/वर्ष	परिवार के सदस्य का नाम जिन्हे रोजगार दिया गया	दिनों की संख्या एवं रोजगार दिए जाने की तिथि			कार्य की विवरणी जिसमे रोजगार दिया गया	मस्टर रोल संख्या जिससे भुगतान प्राप्त किया गया	एजेंसी जिसने कार्य उपलब्ध कराया	प्राधिकृत पदधारी
			दिनांक से	दिनांक तक	कुल दिनों की				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

- पण कोई भी कं.सं. किसी भी परिस्थिति में खाली नहीं छोड़ा जाए।  
 पपण कुल मासिक रोजगार उपलब्ध कराई गई विवरणी का योग माह के अन्त में किया जाए।  
 पपपण परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए विवरणी अलग-अलग भरी जाए।  
 पअण जब परिवार के 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए तो इसे अगली कतार में लाल स्याही से अंकित किया जाए।  
 अण अगले माह की कार्य विवरणी पूर्व माह की कुल संख्या दर्ज करने के उपरान्त अगले कतार से प्रारम्भ होगी।

# राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मुख्य विन्दु

- 1. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी—** राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम/योजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को जिसके इच्छुक वयस्क अकुशल मानव श्रम आधारित रोजगार की इच्छा रखते हो, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है।
- 2. बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान—** इस अधिनियम/योजनान्तर्गत किसी आवेदक को आवेदन प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर रोजगार प्राप्त नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है।  
बेरोजगारी भत्ता वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार को आधार मानकर पहले 30 दिनों के लिए दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर का एक चौथाई प्रतिदिन और शेष 70 दिनों के लिए दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर का आधा देय होगा।  
रोजगार हेतु आवेदन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सम्बन्धित पंचायत के पंचायत सेवक के समक्ष दिया जा सकेगा।)
- 3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत नया कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यक शर्तें निम्नवत हैं :-**  
पण न्यूनतम पचास अकुशल श्रम हेतु इच्छुक वयस्क का आवेदन होना चाहिए।  
पण पूर्व से चल रही योजना में इनके सामंजन की गुंजाईश न हो।
- 4. रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले रोजगार आवेदक के वर्तमान निवास से 5 कि.मी. की परिधि में होना चाहिए। यह दूरी प्रखण्ड के कार्यक्षेत्रों के अन्दर होगी।**  
अगर उपरोक्त परिधि से बाहर रोजगार प्रदान किया जाता है तो न्यूनतम मजदूरी दर का अतिरिक्त 10% परिवहन व जीवन यापन खर्च को सामंजित करने हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।
- 5. मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक होगा परन्तु किसी भी परिस्थिति में 15 दिनों के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करना क्रियान्वयन एजेंसी का दायित्व होगा।**  
आवश्यकतानुरूप मजदूरी दर का कुछ हिस्सा नकद रूप में दैनिक खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु भी दिया जा सकेगा।
- 6. परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों की विवरणी रोजगार कार्ड पर दर्ज की जाएगी एवं मस्टर रोल पर मजदूरों के नाम के सामने रोजगार कार्ड संख्या व दिनों की संख्या दर्ज की जाएगी। मस्टर रोल का समय-समय पर सामाजिक अंकेक्षण भी कराया जाना आवश्यक होगा।**
- 7. योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराए गए व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मुफ्त चिकित्सा सुविधा इस योजना मद से समुचित प्रावधान के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाएगी।**
- 8. इस योजनान्तर्गत रोजगार प्राप्त व्यक्ति की कार्य के दौरान मृत्यु होने और स्थायी अपंगता की स्थिति में कार्यकारी एजेन्सी 25,000/- (पच्चीस हजार) अनुग्रह अनुदान उपलब्ध करायी जाएगी।**

9. स्वच्छ पेयजल, बच्चों एवं कामगारों के आराम के लिए शेड, आपातकालीन चिकित्सा हेतु थैल, पक्कठ आवश्यक दवाओं के साथ योजना स्थल पर उपलब्ध रहेगा।
10. 0-6 वर्ष के पांच या अधिक बच्चों के मां के साथ योजना स्थल पर उपलब्ध होने की स्थिति में बच्चों की देखभाल के लिए महिला की प्रतिनियुक्ति आवश्यक रूप से की जाएगी जिसे न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान किया जाएगा।
11. शिकायत हेतु प्रखंड/जिला स्तर पर शिकायत पंजी उपलब्ध रहेगा।



नोट:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट/मार्गदर्शिका के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन होगा।



(भाप्रसे) उपायुक्त, लातेहार, फोन : 06565-247421, 247422 फैक्स : 06565-247417, मो. 94311-38347 ❀ बनारसी मेहरा (झाप्रसे), उप  
लातेहार, फोन : 06565-247473, 248232 फैक्स : 06565-247473 मो. 94311-38603 ❀ सुबोध प्रसाद, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, फोन :  
247385 ❀ हसीब अख्तर, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार, फोन : 06565-247473,  
06565-247473, मो. 94311-47197 ❀ संग्राम बेसरा, अनुमंडलाधिकारी, लातेहार, फोन : 06565-247628, 247412, मो. 94311-38965  
पदाधिकारी, लातेहार, फोन : 06565-247665 ❀ प्रखंड विकास पदाधिकारी, चंदवा, फोन : 06565-226212 ❀ प्रखंड विकास पदाधिकारी,  
06568-266814 ❀ प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनिका, फोन : 06567-241220 ❀ प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरवाडीह, फोन :  
❀ प्रखंड विकास पदाधिकारी, गारू, फोन : 06569-242228 ❀ प्रखंड विकास पदाधिकारी, महुआडांड, फोन : 06569-252344